FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

मुकेश वगै० बनाम मिश्री वगै०

किस्म मुकदमा 88-89 मिसल नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/6/18	वाद वादी/वादनी मुकेश वगै० की और से अभिभाषक श्री R.B.D. द्वारा उपस्थिति होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया । वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14/6/18 कैम्प बडोद को पेश हो।	
14.6.18 वादीगण प्रदीप मुकेश [illegible] प्रतिवादी [illegible]	पत्रावली लोक अदालत केम्प बडोद में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित, वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 128, 732, 738, 739, 742 कुल किता 5 रकबा 4.16 हे0 एवं ख0नं0 740, 741 कुल किता 2 रकबा 1.11 हे0 संयुक्त परिवार की पैतृक आराजी में जन्म से निहित हिस्सा होनें से प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार घोषित राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवाददी न0 1 के साथ वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जानें का निवेदन किया। मजमे आम में उभयपक्ष की समझाईश की गई। उभयपक्ष में मुताबिक रिलीफ सहमति कायम की गई तथा उभयपक्ष ने सहमति बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का वाद पत्र की प्रार्थना के सम्बन्ध में विधिक विचारण करनें के उपरान्त हम यह पाते है कि विवादित आराजी प्रतिवादी न0 1 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी नं0 1 ने स्वयं स्वीकार किया है कि उक्त विवादित भूमि उसे विरासत में प्राप्त हुई है तथा वादीगण उसके पुत्र है तथा वादीगण का नाम विवादित आराजी में सहखातेदारी में दर्ज किये जानें उसे कोई आपत्ति नही है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य है, तथा किसी प्रकार की राजकीय हानि होना भी प्रकट नही होता है। परिणामतः वाद वादीगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद स्थित ख0न0 128, 732	मेरे स्वीकृति के साथ वादीगण जो मेरे पुत्र है इनका नाम मेरे साथ सहखातेदारी में नाम दर्ज करदिया जावे। मुझको कोई आपत्ति नहीं है। [illegible] गवाह 1. [illegible] 2. [illegible]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म की ता... जारी हु...
	738, 739, 742 कुल किता 5 रकबा 4.16 हे0 एवं ख0नं0 740, 741 कुल किता 2 रकबा 1.11 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी नं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Scanned by CamScanner

नम्बर
अहकाम
हुक्म की तामील
जारी हुए

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प बडोद

उनवान

1. मुकेश कुमार पुत्र गिर्राज प्रसाद
2. प्रवीण कुमार पुत्र गिर्राज प्रसाद
3. चितरंजन गुप्ता पुत्र गिर्राज प्रसाद
4. सत्यनारायण पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति महाजन निवासीगण कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा —वादीगण

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र भैरूलाल जाति महाजन निवासीगण कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा —प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 49/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 128, 732, 738, 739, 742 कुल किता 5 रकबा 4.16 हे0 एवं ख0नं0 740, 741 कुल किता 2 रकबा 1.11 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी नं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है।" तद्नुसार अन्तिम डिक्री लोक अदालत केम्प बडोद में जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 14.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद